ई-मेल

संख्या–747/नौ–9–17–58ज/2000

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त 2017

विषयः–प्रदेश के नागर निकाय हेतु वर्ष 2017–2018 के लिए कर–करेत्तर राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सांख्यिकी सेल(अ)/885/कर–करेत्तर दिनांक– 04 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए कर–करेत्तर राजस्व वसूली के लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1– गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत से कम वसूली करने वाली निकायों की वास्तविक वसूली में 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्तमान वर्ष का लक्ष्य निधारित किया जाय।

2– गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक तथा 80 प्रतिशत से कम वसूली करने वाली निकायों की वास्तविक वसूली में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्तमान वर्ष का लक्ष्य निधारित किया जाय।

3– गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत या उससे अधिक वसूली करने वाली निकायों की वास्तविक वसूली में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्तमान वर्ष का लक्ष्य निधारित किया जाय।

कर–करेत्तर राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निकाय वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के सकारात्मक प्रयास सुनिश्चित करे तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास न करने तथा कम राजस्व वसूली करने वाली निकायों के अधिकारियों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय। कर–करेत्तर राजस्व वसूली की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निकाय द्वारा तैयार कर निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायी जायेगी–तथा निदेशक, स्थानीय निकाय

Go's

द्वारा समस्त निकायों के कर–करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये समेकित छमाही प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कर–करेत्तर राजस्व वसूली की समेकित प्रगति रिपोर्ट समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

31/1/17

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशंक, स्थानीय निकाय)
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

O/C

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव

Go's